

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 3, 2016/अग्रहायण 12, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 256] DELHI, SATURDAY, DECEMBER 3, 2016/AGRAHAYANA 12, 1938 [N.C.T.D. No. 254

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

फ. सं. 61(313)/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2015-16/वाल्सूम-III/28230-58.—लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का संख्यांक 32) की धारा 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से समझा जाए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष त्वरित निष्पादन न्यायालय) जिला दक्षिण पश्चिम द्वारका, दिल्ली के न्यायालय को दिल्ली के जिला दक्षिण-पश्चिम के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मामलों के निपटारे हेतु अधिसूचित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,
सोम नायडु, अतिरिक्त निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd December, 2016

F. No. 61(313)/DD(CPU)/DWCD/2015-16/ Vol-III/28230-58.—In exercise of the powers conferred under section 28 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (No. 32 of 2012) read with concurrence of Chief Justice of Delhi High Court, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to earmark Courts of Additional Session Judge (Special Fast Track Court), South-West, Dwarka, Delhi for dealing with cases of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 of the South-West District of the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
SOM NAIDU, Additional Director,